

१६२

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: २४९५

दिनांक:

प्रेषक: बी०सी० निगम, भा०व०स०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

रोपा में

श्री सुरेश लकड़ा,
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

विषय: राँची, दिनांक—
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी के अधीन "01- निदेशन एवं प्रशासन", उपशीर्ष में राशि के अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18 / 2014-15 / 300 / बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक - 7 / या०व०-24 / 2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015।

महाराज

उपर्युक्त विपक्ष प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक मे "01-निदेशन एवं प्रशासन" उपर्याप्त के विभिन्न इकाईयों मे 144,50,000/- रु की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

- 1 यह आवंटन वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची का पत्रांक-29 / बी०टी०ई०-18 / 2014-15 / 300 / बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार का पत्रांक- 7 / या०व०-24 / 2015-2026 व०प०, राँची, दिनांक 17.04.2015 तथा विहार सरकार वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम०-4-05 / ९८ २५६१ / वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
- 2 राकड़ प्रवाह (कैश पला) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23 / 2003 / 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 3 आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लंखा संधारण किया जाय।
- 4 वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में 15.11.2000 का बाद का बजाया बेतन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान बेतन मद में उपबोधित राशि से किया जायेगा।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BPCDA/01-15-16/35B की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु०-यथो०:

विश्यासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
झारखण्ड राँची

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि कोपागार पदाधिकारी डोरण्डा कोपागार, डोरण्डा को आवंटन आदेश पत्र की मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची

०८८

३८६

201

आदंटन आदेश

आरखेंड सरकार

PCCF, JHARKHAND

वर्ष 2015-16 में यह नियमित दृष्टी से वर्तमान से के सम्मुखीकृत रूप से अनुदित की जाती है।

पत्र संख्या - 8900A/01-15-16/358

दिलांक •

29-Jul

三

३५५ शोध

समय एक कोड अधारित वाच्चे विद्या द्वारा

14,250.000.00

Principles of Conservation
of Jharkhand, India

Run Date: 29/7/2015

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं० | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|---|------------|---|--------------------------------------|
| 4 | N 19 240601001010333 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वार्तादी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 03 . प्रशासनिक व्यय 33 . दृग्भाष्य | 51269 | DRNFWL001 SURESH LAKRA UNDER SECT.PCCF.OFFICE JAHRKHA | 50,000.00 रुपये पचास हजार |
| 5 | N 19 240601001010442 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वार्तादी 001 . निदेशन तथा प्रशासन 01 . निदेशन एवं प्रशासन 04 . सोटरगार्डियाड / ईथन 42 . सोटरगार्डी ईथन एवं सम्पत्ति | 51268 | DRNFWL001 SURESH LAKRA UNDER SECT.PCCF.OFFICE JAHRKHA | 150,000.00 रुपये एक लाख पचास हजार |
| दोग | | | | 200,000.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये एक करोड दशर्हांस लाख पचास हजार | | | 14,450,000.00 |